भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3259
उत्तर देने की तारीख-16/12/2024

सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त फर्जी स्कूल

†3259.श्री पी. पी. चौधरी:
श्री सुरेश कुमार कश्यप:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा फर्जी स्कूलों और उनमें छात्र नामांकन के मामलों की पहचान करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो निधियन का ब्यौरा क्या है और इस सबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;
(ख) फर्जी स्कूलों के संचालन को रोकने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा लागू किए गए विशिष्ट उपाय क्या हैं और लगाए गए दंड का ब्यौरा क्या है और मान्यता रद्द किए गए स्कूलों की संख्या कितनी है;
(ग) वर्तमान में सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों की सख्या और ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और हिमाचल प्रदेश में जिलावार दी गई नई संबद्धताओं की संख्या कितनी है;
(घ) पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूलों को संबद्धता देने के लिए सीबीएसई द्वारा अपनाए जा रहे मापदंडों का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सीबीएसई की वैश्विक उपस्थिति और मान्यता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कोई पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा विशेषकर ग्रामीण और अभाव वाले क्षेत्रों में सीबीएसई स्कूलों में छात्र नामांकन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) केवल उन्हीं स्कूलों को संबद्ध करता है जो बोर्ड के संबद्धता उपनियमों में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। कुछ स्कूल बोर्ड के परीक्षा और संबद्धता उपनियमों का पालन नहीं कर रहे थे और उन छात्रों को (बोर्ड परीक्षा के लिए) प्रायोजित कर रहे थे जो स्कूल से नियमित कक्षाओं में भाग नहीं ले रहे थे। बोर्ड के संबद्धता उपनियमों के खंड 14.2.3 में निर्धारित किया गया है कि "कोई भी संबद्ध स्कूल ऐसे

अभ्यर्थियों को बोर्ड की परीक्षा में शामिल नहीं करेगा जो किसी असंबद्ध स्कूल/शाखा में नामांकित हैं।" बोर्ड के संबद्धता उपनियमों के खंड 14.2.4 में यह निर्धारित किया गया है कि "कोई भी संबद्ध स्कूल ऐसे अभ्यर्थियों को बोर्ड की परीक्षा में शामिल नहीं करेगा जो उसके पंजीकृत हैं, लेकिन नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित नहीं हुए हैं या बोर्ड की परीक्षा में उपस्थित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति की अपेक्षा को पूरा नहीं करते हैं।" बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले वे छात्र जो बोर्ड में पंजीकृत हैं, लेकिन नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते हैं। इसलिए, सीबीएसई द्वारा विभिन्न स्कूलों के नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के पंजीकरण/उम्मीदवारों की सूची (एलओसी) डेटा का विश्लेषण किया गया और कुछ स्कूलों के डेटा में असामान्यताएं पाई गईं। इसलिए, दिनांक 03.09.2024 को सीबीएसई द्वारा 27 सीबीएसई संबद्ध स्कूलों का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, ये स्कूल डमी/गैर-उपस्थित छात्रों को प्रायोजित करने की प्रथा में शामिल थे।

इन स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा उनके उत्तरों पर विचार करने के बाद, जो संतोषजनक नहीं पाए गए, बोर्ड द्वारा इन सभी स्कूलों के विरुद्ध बोर्ड के संबद्धता उप-नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई, जिसमें 21 स्कूलों की संबद्धता समाप्त करना (अनुलग्नक-क) तथा 6 विद्यालयों का अवनयन करना (अनुलग्नक-ख) शामिल है।

(ग): दिनांक 11.12.2024 की स्थिति के अनुसार 30395 स्कूल सीबीएसई से संबद्ध हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई नई संबद्धता: राज्यवार सूची अनुलग्नक-ग पर दी गई है तथा हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई नई संबद्धता: जिलावार सूची अनुलग्नक-घ पर दी गई है।

(घ): बोर्ड के संबद्धता उपनियमों के खंड 3.4.2 और 3.7, में बोर्ड से संबद्धता प्रदान करते समय पहाड़ी क्षेत्रों/हिल स्टेशनों पर स्थित स्कूलों को भूमि प्रावधानों में विशेष रियायत दी गई है।

(ङ) : सीबीएसई की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए, बोर्ड ने बोर्ड के संबद्धता उपनियमों के खंड 2.5 में निर्धारित बोर्ड से संबद्धता चाहने वाले विदेशी स्कूलों के संबंध में विशेष प्रावधान किए हैं। इसके अलावा, दिनांक 19.11.2024 के परिपत्र संख्या 17/2024 के माध्यम से, बोर्ड ने विदेशों में स्थापित स्कूलों को संबद्धता, संबद्धता स्तर के उन्नयन, संबद्धता के विस्तार, स्कूल / ट्रस्ट के नाम में परिवर्तन, स्कूल के स्थानांतरण आदि के लिए पूरे वर्ष आवेदन करने के लिए सरस पोर्टल की सुविधा प्रदान की है। मध्य पूर्व में सीबीएसई से संबद्ध विदेशी स्कूलों को सहायता देने के लिए बोर्ड द्वारा दुबई में एक नया सीबीएसई क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है।

(च): बोर्ड हितधारकों तक पहुंच बनाने तथा स्कूलों को बोर्ड से और अधिक संबद्ध करने की दिशा में जोर देने के लिए 06 नए क्षेत्रीय कार्यालय और 06 उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोल रहा है, जिससे अंततः सीबीएसई संबद्ध स्कूलों में नामांकन में वृद्धि होगी।

*****